कार्यालय जिला एवं सेशन न्यायाधीश,

भीलवाड़ा (राज.)

क्रमांक : 385 / स्था / 2026 दिनांक : 19.11.26

:: आदेश ::

राजस्थान उच्च न्यायालय द्वारा जारी विज्ञापन संख्या रा.उ.न्या.जो. / परीक्षा प्रकोष्ठ / वाहन चालक / 2025 / 2358 दिनांक 09 / 06 / 2025, राजस्थान उच्च न्यायालय के पत्र क्रमांक G/IA4(i)(a)123 /2024/1152 दिनांक 17 / 11 / 2026 एवं राजस्थान अधीनस्थ न्यायालय (चालक और चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी) सेवा नियम, 2017 (यथा संशोधित नियम) एवं इस संबंध में राज्य सरकार तथा माननीय राजस्थान उच्च न्यायालय द्वारा जारी परिपत्रों के अधीन निम्नांकित अभ्यर्थी को दो वर्ष के परीवीक्षाकाल पर प्रथमतः छः माह के लिये राजस्थान सिविल सेवायें (पुनरीक्षित वेतनमान) नियम, 2017 में वाहन चालक के पद पर अस्थायी तौर पर कार्यभार ग्रहण करने तिथि से छः माह / दो वर्ष की अवधि के लिये राज्य सरकार के परिपत्र संख्या एफ. 15(1)एफ.डी.(नियम) / 2017 दिनांक 30.10.2017 के अनुसार 14600 / – रुपये मासिक नियत (फिक्स) पारिश्रमिक पर नियुक्ति निम्न शर्तों के अधीन प्रदान की जाती है:–

S. No.	Merit No.	Roll No.	Name of Candidate	Date of Birth	Gender	Original Category	Allotted Category
1	34	24898	RAJESH SINGH RATHORE	01/07/2000	Male	OBC	OBC

1. उक्त नियुक्ति माननीय राजस्थान उच्च न्यायालय के समक्ष विचारधीन रिट याचिका D.B. Civil Writ Petitions No. 19969/2026, 19264/2026 व 24414/2026 तथा अन्य याचिकाओं (यदि कोई लंबित हो तो) एवं भविष्य में प्रस्तुत होने वाली अन्य याचिकाओं एवं विधिक कार्यवाही के निर्णयाधीन रहेंगी।
2. प्रथम छः माह की अवधि में कार्य व्यवहार संतोषप्रद नहीं होने पर किसी भी समय बिना पूर्व सूचना के नवनियुक्त अभ्यर्थी की सेवायें समाप्त की जा सकेगी।
3. प्रथम छः माह में कार्य संतोषजनक पाये जाने पर परीवीक्षाकाल एक साथ या समुचित अन्तराल पर दो वर्ष तक बढाया जावेगा। पूरे परीवीक्षाकाल में कार्य एवं व्यवहार संतोषप्रद होने पर ही उपरोक्त वेतनमान (पे–मेट्रिक्स) में न्यूनतम देय वेतन नियत किया जावेगा।
4. अभ्यर्थीगण द्वारा प्रस्तुत समस्त प्रमाण पत्रों के संबंधित संस्थाओं के सत्यापन के अधीन अस्थाई नियुक्ति दी गई है। सत्यापन में कोई भी दस्तावेज या सूचना मिथ्या पाई गई तो बिना पूर्व सूचना के सेवायें समाप्त की जा सकेगी।
5. पुलिस सत्यापन हेतु प्रस्तुत की गई सूचनायें या सत्यापन सही नहीं पाये जाने पर या उसके पूर्व का आचरण व व्यवहार प्रतिकूल पाये जाने पर बिना नोटिस दिये सेवायें समाप्त की जा सकेगी। इस हेतु वांछित सूचनाएं **संलग्न निर्धारित प्रारूप में नियमानुसार मय आवश्यक प्रमाण पत्रों सहित उपस्थिति के समय आवश्यक रूप से प्रस्तुत करें।**
6. अभ्यर्थी द्वारा राज्य सरकार के वित्त विभाग के आदेशों के अधीन चिकित्सा व्यय के पुनर्भरण के संबंध में राज्य सरकार / माननीय उच्च न्यायालय के नियम / परिपत्र लागू होंगे।
7. राज्य सरकार या माननीय उच्च न्यायालय के नियम / परिपत्र के अधीन पेंशन योजना लागू होगी।
8. इस आदेश की प्राप्ति के 07 कार्य दिवस के भीतर कार्यभार ग्रहण करना होगा अन्यथा यह माना जावेगा कि संबंधित अभ्यर्थी नियुक्ति का इच्छुक नहीं है एवं उस सूरत में उसकी नियुक्ति निरस्त कर दी जावेगी।

9. नवनियुक्त अभ्यर्थी पर राज्य सरकार एवं माननीय राजस्थान उच्च न्यायालय द्वारा समय–समय पर जारी परिपत्र, सेवा नियम एवं आचरण नियम लागू होंगे।

10. **अभ्यर्थी को कार्यभार ग्रहण करने से पूर्व राजस्थान सेवा नियम, 1951 के नियम 10 के तहत सेवा में योग्य होने का सक्षम चिकित्सा अधिकारी द्वारा प्रदत्त प्रमाण पत्र प्रस्तुत करना होगा।**

11 **अभ्यर्थी उपस्थिति के समय आवेदन पत्र के साथ उनके द्वारा प्रस्तुत समस्त सत्यापित दस्तावेज यथा जन्म तिथि प्रमाण पत्र, शैक्षणिक/तकनिकी योग्यता से संबंधित अंक तालिका/प्रमाण पत्र, जाति प्रमाण पत्र, अंतिम शैक्षणिक संस्था द्वारा जारी चरित्र प्रमाण पत्र आदि के मूल दस्तावेज मिलान हेतु आवश्यक रूप से प्रस्तुत करे।**

19/11/24

जिला एवं सेशन न्यायाधीश,
भीलवाड़ा

क्रमांक : स्था/नि./03/26/5795-5800 दिनांक : 19/11/24

प्रतिलिपि सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु :–

1– प्रभारी अधिकारी लेखानुभाग जिला न्यायालय भीलवाड़ा
2– सम्बन्धित लेखानुभाग मार्फत सम्बन्धित न्यायालय
3– सम्बन्धित न्यायालय.....
4– व्यक्तिगत पत्रावली संबंधित अभ्यर्थी मार्फत संबंधित न्यायालय
5– सम्बन्धित अभ्यर्थी श्री राजेश सिंह राठौड़ पुत्र श्री मनोहर सिंह राठौड़, निवासी– ग्राम सांस कचौलिया, तहसील मालपुरा जिला टोंक, सांस, राजस्थान –304503 मोबाईल नं. 9982858250 ईमेल–rajeshrathore02000@gmail.com जरिये रजिस्टर्ड डाक
6– सिस्टम ऑफिसर, जिला न्यायालय भीलवाडा को आदेश की प्रति जिला न्यायालय, भीलवाड़ा की अधिकृत वेबसाईट पर अपलोड करने एवं संबंधित अभ्यर्थी की ईमेल आईडी पर प्रेषित करने हेतु।
7– स्थापनानुभाग, जिला न्यायालय, भीलवाड़ा

19/11/24

जिला एवं सेशन न्यायाधीश,
भीलवाड़ा